फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम मालीराम

नाम न्यायालय AC आमेर मु० जयपुर

केस संख्या 59/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	21/5/25	पत्रावली आज दिनांक 21/5/25 को पेश हुई। डिस्ट्रिक्ट एड० बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगन की जाने से पत्रावली अनुसार दिनांक 23/5/25 को पेश हो।
	23/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वे.फ. उप.। वास्ते आदेश दिनांक 9/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	9/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वे.फ. उप.। प्रतिवादी-2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज करते हुये वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री ~~किया जाता है~~ पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली ~~वास्ते~~ फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 59 / 2021 पत्रावली दर्ज दिनांक 16.07.2021

बाबूलाल पुत्र ओमला आयु 47 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा पोस्ट जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. मालीराम पुत्र ओमला,आयु 65 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा, पोस्ट जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र ओमला,आयु 62 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा, पोस्ट जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील–आमेर, जिला जयपुर।
4. दी सेंन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि.शाखा जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर

...........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 09.06.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि अविभाजित कृषि भूमि आराजी खाता संख्या 133 नया 115 पुराना में खसरा नम्बर 127 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 3.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 3.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 13.74 हैक्टेयर वाके ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवा हल्का खन्नीपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर में स्थित है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि में वादी का अविभाजित हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 का अविभाजित हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 का अविभाजित हिस्सा 1/3 निहित है। वादी वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित अपने उक्त हिस्से 1/3 का रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ... की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि के सह–काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ... भूमि में संयुक्त हिस्सा 1/3 1/3 निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ... संख्या 1 में वर्णित अपनी–अपनी हिस्से भूमि पर काबिज है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ... आपसी मनबट के आधार पर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि का बंटवारा कर रखा था तथा मनबट के आधार पर अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर भूमि का उपयोग एवं उपभोग एवं कृषि कार्य करते आ रहे है। वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि अविभाजित कृषि भूमि है जिसका किसी भी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक विधिवत विभाजन नही किया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का विधिवत वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया जाता आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं करवा रहे है तथा बार–बार निवेदन करने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को कोई न कोई बहाना बनाकर टालम–टोल करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 10.07.2021 को अपने साथ अन्य चार–पांच व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वहां आकर वादी की कब्जेशुदा भूमि के एक विशिष्ठ भू–भाग पर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाये जाने के उद्देश्य से मौके पर निर्माण सामग्री डाल दी तथा नींव खुदाई करवाने लगे इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के कब्जे एवं हक हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पूर्व भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नहीं माने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके साथ आये अन्य व्यक्तियों द्वारा वादी की कब्जेशुदा भूमि पर अपना कब्जा करने की गरज से निर्माण कार्य चालु कर दिया तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके साथ आये व्यक्तियों द्वारा वादी से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया तथा वादी को यह ऐलानियां धमकी दी गई की वह वादग्रस्त भूमि का कोई विधिवत विभाजन नहीं करवायेंगे तथा बिना विधिवत विभाजन के ही जोर–जबरन उक्त संयुक्त स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर वादी को बेकब्जा करके रहेगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई कानूनन हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं है अपितु वादी वादग्रस्त भूमि का जरिये माननीय न्यायालय विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवा पाने का अधिकारी है एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का भी अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि का जरिये माननीय न्यायालय विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से व. अंश पर किसी प्रकार का कोई बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य नहीं करें तथा ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा या मजाहमत ही पैदा करें। प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त बैजा कार्यवाही से पीडित होकर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 10.07.2021 की घटना के उपरान्त वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया व भूमि का विधिवत तकासमा करवाये जाने से आनाकानी की गई है। प्रतिवादी संख्या 3 को भूमि का लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद कारण दिनांक 10.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी की कब्जेशुदा भूमि पर अवैध निर्माण करने का प्रयास किये जाने व दी गई धमकी से उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुति पर उक्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 16 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवा हल्का खन्नीपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 3.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 3.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 13.74 हैक्टेयर का उभयपक्ष का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर विधिक विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में कुर्रेजात भेजने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भेजे गये तथा उभयपक्ष की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश हुई। जिसके आधार पर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार जालसू को लिखा गया। पुनः तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

हमने आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र व बहस का बगौर अवलोकन किया। कुर्रेजात व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया जिसमें जाहिर होता है कि आपत्तिकर्ताओ का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार जमीन दी गई है आपत्तिकर्ता का भूमि पर आने जाने का रास्ता है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार जालसू के हस्ताक्षर है। साथ ही कुर्रेजात रिपोर्ट पूर्व में भी आपत्तिकर्ताओ को सुनकर ही पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई है, जिसमें आपत्तिकर्ता के बिन्दुओं को समाहित करते हुए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार जालसू से मंगवाई गई है। इसलिए आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरूप उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. बाबूलाल पुत्र ओमला जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन दी सैट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से ख़सरा नंबर 182 रकबा 3.93 हैक्टेयर व खसरा नंबर 181/4 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. हरिनारायण पुत्र ओमला जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन दी सैट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 169 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 170 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 171 रकबा 3.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 172 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/1 रकबा 0.78 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.09.12 18:20:50 IST
Reason: SelfAttested

3. मालीराम पुत्र ओमला जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन दी सैंट्रल कोपरिटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 165 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/2 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/2 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175/1 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181/3 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. बाबूलाल, मालीराम, हरिनारायण पि0 ओमला हि. ब.हि. जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन दी सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 56 रकब 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 59/2021 पत्रावली दर्ज दिनांक 16.07.2021

बाबूलाल पुत्र ओमला आयु 47 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा पोस्ट जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. मालीराम पुत्र ओमला,आयु 65 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा, पोस्ट जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र ओमला,आयु 62 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा, पोस्ट जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील—आमेर, जिला जयपुर।
4. दी सेंन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि.शाखा जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

............प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत — 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:—

1. बाबूलाल पुत्र ओमला जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन दी सैट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 182 रकबा 3.93 हैक्टेयर व खसरा नंबर 181/4 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. हरिनारायण पुत्र ओमला जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन दी सैट्रल कोपरेटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 169 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 170 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 171 रकबा 3.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 172 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/1 रकबा 0.78 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. मालीराम पुत्र ओमला जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन दी सैंट्रल कोपरिटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 165 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नंबर 168 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 173/2 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 174/2 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175/1 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181/3 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. बाबूलाल, मालीराम, हरिनारायण पि० ओमला हि. [illegible] जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन दी सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 56 रकब 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128

सहायक कलक्टर
आमेर म.० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:50 IST
Reason: Self Attested

रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175 / 2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 / 2 रकवा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 09.06.2025 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:50 IST
Reason: SelfAttested